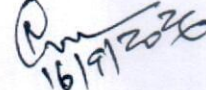


बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)

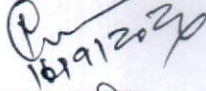
आवश्यक सूचना

मत्स्य निदेशालय पत्रांक 859 दिनांक 22.04.2026 द्वारा श्री राज किशोर विद्यार्थी, तदेन् मत्स्य विकास पदाधिकारी मत्स्य निदेशालय, पटना के विरुद्ध कार्य में रुचि नहीं लेने, अनाधिकृत रूप से कार्यास्थल से लगातार अनुपस्थित रहने एवं सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित समय सीमा के अंदर निष्पादित किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के लिये आरोप पत्र गठित किया गया, जिसके संबंध में श्री विद्यार्थी द्वारा बचाव अभिकथन मत्स्य निदेशालय को समर्पित नहीं किया गया। कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं होने के कारण मत्स्य निदेशालय आदेशांक 1003 दिनांक 18.05.2026 द्वारा श्री राज किशोर विद्यार्थी को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते जिला मत्स्य कार्यालय, सुपौल में मुख्यालय निर्धारित किया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 1025 दिनांक 17.07.2026 द्वारा सूचित किया गया कि श्री विद्यार्थी द्वारा उक्त कार्यालय में योगदान नहीं किया गया। पुनः श्री विद्यार्थी के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय पत्रांक 1522 दिनांक 07.08.2026 द्वारा पूरक आरोप पत्र गठित किया गया, परंतु उनके द्वारा आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र के संबंध में अपना अभिकथन मत्स्य निदेशालय को समर्पित नहीं किया। इस प्रकार श्री विद्यार्थी विगत 06 माह से कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं।

अतः निदेशानुसार, श्री विद्यार्थी को निदेश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशन होने की तिथि से एक पक्ष के अन्दर जिला मत्स्य कार्यालय, सुपौल में योगदान करते हुए अपना बचाव अभिकथन निश्चित रूप से मत्स्य निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा श्री विद्यार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय लेते हुए अग्रेतर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी, जिसकी पूर्ण जवाबदेही श्री विद्यार्थी की होगी।


(रामायण राम)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/गो०शि०अरा०(अधी०)-03/2026.....622 / मत्स्य/पटना, दिनांक 17.09.2026
प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेश है कि इस सूचना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।


संयुक्त सचिव